

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तर ज़िम्मे नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्से के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त हो जा सकती है।

एकल खिडकी नैपल कावणीय अंश/पत्रिका

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 59 दिनांक 03/05/2019

प्राचीन अड्डा मुनाम 510 काठडुल कालम
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 § No: 136 कालम नैपल नगर
धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय नैपल नगर
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 2500/- 1000/-
जरिये रसीद संख्या 1005/1426, 1427
दिनांक 03/05/2019 को जमा करा दी है।

प्रमुख
प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

Samir
31/5/19
925152592